

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फ़ैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.2(1)/आरएमएससी/प्रोक्यू./ड्रग/2012/

दिनांक

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक एफ. 01 (1)/ RMSCL/ Finance/ 2012/ 01 dated 13.1.2012 के अन्तर्गत निम्न फर्मों द्वारा निम्नानुसार EMD राशि निविदा में लगाई गई थी:-

क्र. सं.	निविदाकार फर्म का नाम	ईएमडी का विवरण				अनुमोदित आईटम कोड संख्या
		Name of Bank	DD No.	Date	Amount	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zeiss Pharmaceuticals Pvt.Ltd., Baddi	Axis Bank	17923	13.02.12	200000	119& 481
2	Astrazeneca Pharma India Ltd. Banglore	SBI Bank	795646	10.02.12	200000	285
3	Psychotropics India Ltd., Haridwar	ICICI Bank	242209	08.02.12	500000	80
4	Surya Pharmaceutical Limited, New Delhi	CORP Bank	544657	18.02.12	200000	71 & 73
5	Maxmed Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi	OBC Bank	759280	17.02.12	400000	75

उक्त फर्मों द्वारा अनुमोदित आईटमों के अनुबन्ध एवं वांछित प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की गई। निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध प्रस्तुत नहीं करने पर ईएमडी राशि जब्त करने हेतु उक्त सभी फर्मों को लिखा गया। प्राप्त स्पष्टीकरणों की समीक्षा उपरान्त फर्मों को दोषी मानते हुये कॉलम संख्या 6 में अंकित ईएमडी राशि जब्त करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

क्रमांक : एफ.2(1)/आरएमएससी/प्रोक्यू./ड्रग/2012/ 3135

दिनांक 1-11-12

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-



1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससी)
2. कार्यकारी निदेशक, (वित्त) को भेजकर लेख है कि कैश बुक में जमा राशि से स्वीकृति अनुसार मिलान कर सम्बन्धित निविदाकार फर्मों की ईएमडी राशि जब्त करने की कार्यवाही करावें।
3. सम्बन्धित निविदादाता मै.
4. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी.)
आरएमएससी